कार्य में व्यस्त है । पत्रावली ...
दिनांक 30/8/24 को पेश हो ।

नवीन प्रार्थना पत्र की स्वतंत्रता के साथ प्रार्थना पत्र को विड्रो किया जाता है।

30/8/24

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित है। प्रार्थीयां स्वयं उपस्थित है। वकील प्रार्थी तथा प्रार्थीयां द्वारा पत्रावली में उपस्थित होकर नवीन प्रार्थना पत्र पेश करने के अधिकार सुरक्षित रखते हुये, प्रार्थना पत्र धारा 251-A RTA विड्रो करना चाहते हैं। इस बाबत वकील प्रार्थी तथा प्रार्थी स्वयं द्वारा पत्रावली आदेशिका पर टिप्पणी दर्ज की गई। वकील प्रार्थी तथा प्रार्थीयां स्वयं को सुना गया। नवीन प्रार्थना पत्र पेश करने के अधिकार सुरक्षित रखते हुये प्रार्थना पत्र विड्रो किया गया। अतः पत्रावली पर आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाती है अतः प्रार्थीया द्वारा नवीन प्रार्थना पत्र पेश करने के अधिकार सुरक्षित रखते हुये, पत्रावली पर कार्यवाही इसी स्तर पर, समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)